तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभी तक प्राप्त नही हुई है। वास्ते प्राप्त होने तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर पत्रावली दिनांक 06.04.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर)	
06.04.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1642/भू.अ0/23 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.05.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर)	
17.05.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स[illegible]र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो [illegible]त्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 17/05/23 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
84 / 2019	2019 / 00320	20.12.2019	17.05.2023

उनवान प्रकरण

महावीर प्रसाद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद उम्र 60 साल जाति माली निवासी हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थी

बनाम

1. दीपचन्द्र उम्र 60 साल
2. भैंरूराम उम्र 45 साल
3. मंगलचन्द्र उम्र 65 साल
4. मूलचन्द उम्र 50 साल

पुत्रगण नारायण जाति जाट निवासी ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित :–

श्री रामावतार सैनी, एड0 – प्रार्थी की ओर से।

श्री विनोद कुमार सैनी एड0 अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से (एकपक्षीय कार्यवाही)।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी ... की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:04 IST
Reason: SelfAttested

17/05/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1466 रकबा 2.28 है0, 1496 रकबा 1.02 है0, तन् ग्राम हांसपुर पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसका प्रार्थी ने दिनांक 11.12.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक एल0आर0/2019/55 दिनांक 10.12.2019 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया हैं। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हैं। अप्रार्थी संख्या–1 ता 4 प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि के पड़ौसी खातेदार काश्तकार हैं जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सीव आदि को नष्ट कर अतिक्रमण करते आ रहे हैं तथा कहने सुनने से मानते नहीं हैं तथा लडाई झगडा करने पर आमादा रहेते है। प्रार्थी की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि प्रार्थना पत्र की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.12.2019 के अनुसार मौके पर नही होने से प्रार्थी को सख्त हक तलफी हैं। इसलिए न्यायहित में प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरीगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0न0 1466 रकबा 2.28 है0, 1496 रकबा 1.02 है0 तन ग्राम हांसपुर पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की पत्थरगढी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.12.2019 के अनुसार किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तामील किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:04 IST
Reason: SelfAttested

17/05/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ओर से श्री विनोद कुमार सैनी एड0 उपस्थित आयें। वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को बार–बार आवाज दिलवाई गई, लेकिन कोर्ट समाप्ति तक वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 हाजिर अदालत नहीं आये हैं। अतः वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 5 की तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गईं। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि उक्त खसरा नम्बर 1466 रकबा 2.28 है0, 1496 रकबा 1.02 है0 कि खातेदारी महावीर प्रसार, हरिनारायण पुत्रगण जगन्नाथ प्रसाद जाति माली के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 1466 व 1496 पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है। उक्त खसरा नम्बरान की राजस्व रिकार्ड व मौका जांच की गयी। मौके पर भूमि खाली पाई गयी। उक्त नम्बरान नजदीक खसरा नम्बरान क्रमशः 1462, 1463, 1464 में रबी की फसल काश्त हैं। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रकरण में जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में बहस सुनी जाने का निवेदन किये जाने पर बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाले खसरा नम्बर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी का कब्जा काश्त मौके पर होने तथा मौके पर वर्तमान में [illegible] काश्त नहीं होना तथा किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं होना [illegible] तथा पटवारी हल्का हांसपुर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:04 IST
Reason: SelfAttested

12/05/23

किये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किया है। 3

हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1466 रकबा 2.28 है0, 1496 रकबा 1.02 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का हांसपुर के द्वारा दिनांक 11.12.2019 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11.12.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 55/एल.आर./2019 दिनांक 10.12.2019 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का हांसपुर के द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी [illegible] दिनांक 11.12.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा 1466 रकबा 2.28 है0, 1496 रकबा 1.02 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:04 IST
Reason: SelfAttested

12/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अवस्थित तन् ग्राम हांसापुर तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का हासंपुर द्वारा दिनांक 11.12.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

17/05/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/05/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:04 IST
Reason: SelfAttested